HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए मारपीट कर फावड़े से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में 02 बाल अपचारियों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- रुपये (कुल 40,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 17.11.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर फावड़े से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में 02 बाल अपचारियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 19.03.2019 को 02 बाल अपचारियों द्वारा मुकदमा वादी श्री भरत सिंह पुत्र मुन्नालाल निवासी मौ0 गढ़ी कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ के लड़के राहुल के साथ मारपीट कर फावड़े से काटकर निर्मम हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 129/2019 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 28.04.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभारी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17.11.2026 को दोनों बाल अपचारियों को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- रुपये (कुल 40,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार, पैरोकार है0का0 अविनाश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।



